रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 491] नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2005/वैशाख 28, 1927
No. 491] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2005/VAISAKHA 28, 1927

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

(कागज खण्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 2005

का.आ. 676(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2005 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में,—

(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में क्रम सं. 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"74. मै. चड्डा पेपर्स लिमिटेड, ग्राम नगरिया खुर्द, नैनीताल रोड, बिलासपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश राज्य"।

[फा. सं. 4 (2)/2004-कागज]

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 19 जनवरी, 2005 के आदेश सं. का.आ. 66(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

(Paper Section)

ORDER

New Delhi, the 18th May, 2005

S.O. 676(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004 namely :—

1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2005.

   (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule,—

   (1) in item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after S.No. 73 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

   "74. M/s. Chadha Papers Ltd., Village Nagaria Khurd, Nainital Road, Bilaspur, District Rampur in the State of Uttar Pradesh."

[F. No. 4(2)/2004-Paper]

S. JAGADEESAN, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India *vide* No. S.O. 1105(E), dated 11th October, 2004 and amended *vide* Order No. S.O. 66(E) dated 19th January, 2005 published in the Gazette of India.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.